ट्रम्प ने टैरिफ को लेकर की कोर्ट की आलोचना

विभिन्न देशों पर आयात शुल्क लगाने के ट्रंप के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने पलटा

वाशिंगटन, 16 मार्च. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच सोमवार को विभिन्न देशों पर आयात शुल्क लगाने के उनके फैसले को पलटने को लेकर उच्चतम न्यायालय की कड़ी आलोचना की।

गौरतलब है कि पिछले दिनों अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने टैरिफ लगाने के श्री ट्रम्प के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया गया था और इससे प्रभावित होने वाले देशों और कंपनियों को खरबों डॉलर दिए जाएंगे। श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्हें किसी अन्य रूप में टैरिफ लगाने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने का निर्णय उनके लिए सबसे अधिक मायने रखता था। उन्होंने कहा कि न्यायालय को

पता था कि वह अमेरिका के लिए इसे कितनी शिद्दत से चाहते थे। इसके बजाय न्यायालय ने संभावित रूप से उन देशों और कंपनियों को खरबों डॉलर देने का फैसला किया, जो दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने इन देशों को बहुत खुश कर दिया है।

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का 17वां दिन है। इस बीच जापान और ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने से साफ मना कर दिया है। जापान की प्रधानमंत्री सना ताकाइची ने संसद में कहा है कि टोक्यो का होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना भेजने को लेकर कोई ईरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने एस्कॉर्ट जहाज भेजने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। जापान में हाल में वहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था .अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग में रक्षा क्षेत्र में ढील देने के लिए , फिर ऐसे में जापान की पीएम साने ताकाइची बयान अहम माना जा रहा है। जापान अपनी क्रूड ऑयल का लगभग 90 प्रतिशत और एलएनजी का 11 प्रतिशत इस रूट से ले जाता है।

निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने दुनिया भर में ईरानियों से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले लोग प्रदर्शन करें। अमेरिका में रहने वाले पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं विदेशों में रहने वाले सभी ईरानियों से अपील करता हूं कि वे चारशनबे सूरी (ईरानी त्यौहार, 20-21 मार्च को मनाया जाता है) के दिन दुनिया भर में शासन की दूतावासों के सामने इकट्ठा हों और एक आवाज में कहें कि ईरानी राष्ट्र तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक ईरान आजाद नहीं हो जाता।

एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दुबई की उड़ानें की रद्द

नई दिल्ली, 16 मार्च। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को ड्रोन हमले की एक घटना के कारण हवाई अड्डे से उड़ान संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इस व्यवधान के कारण, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को दुबई से आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें आज के लिए रद्द करनी पड़ी। विमान कंपनियों ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को या तो अपनी यात्रा बाद की तारीख के लिए दोबारा बुक करने या अपने टिकट रद्द करने और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पूरा रिफंड प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

ई-कार्गो साइकिल से आसान होगा सफर

इलेक्ट्रिक कार्गो साइकिल से ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, 16 मार्च. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा करने तथा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में इलेक्ट्रिक कार्गो साइकिलों की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक कार्गो साइकिलों तक बेहतर पहुंच शारीरिक श्रम को कम करने के साथ-साथ बाजारों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को आसान बना सकती है. इससे खासतौर पर महिलाओं के नेतृत्व वाली आजीविका गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है.

कार्यक्रम के दौरान तीन विषयगत पैनल चर्चाएं आयोजित की गई. पहले पैनल में भारत के इलेक्ट्रिक साइकिल इकोसिस्टम के विस्तार की संभावनाओं पर

विचार किया गया. इसमें विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, मांग सृजन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा नेटवर्क विकसित करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया. दूसरे पैनल में विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर नीतिगत समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा हुई, ताकि किफायती और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक माइक्रोमोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा दिया जा सके. वक्ताओं ने कहा कि समन्वित नीति ढांचा इस क्षेत्र के विकास को तेज कर सकता है. तीसरे पैनल में ग्रामीण आजीविका, जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ ग्रामीण परिवर्तन में इलेक्ट्रिक साइकिलों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया.

आज का इतिहास

763 अब्बासी खलीफा हारून-अल-रशीद का जन्म।
1406 अरब इतिहासकार, समाज शास्त्री इब्ने खल्दून का जन्म।
1521 फर्डिनेंड मैगेलन फिलीपींस पहुंचे।
1769 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए।
1845 लंदन के स्टीफन पेरी ने रबर बैंड का पेटेंट कराया।
1861 इटली का एकीकरण पूरा हुआ और विक्टर इमैनुएल द्वितीय इटली के राजा बने।
1866- आगरा उच्च न्यायालय (जो अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय है) की स्थापना
1920- बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब-उर-रहमान का जन्म।
1989- उप्र के दो बार मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा का निधन।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सरदारपुर जिला धार (म.प्र)

दूरभाष 07296 – 245865 ई – मेल eephedsardha@mp.gov.in

हर घर जल जल जीवन मिशन

नि.सू.क्रं. 10 /2025-26 सरदारपुर, दिनांक 12.03.2026

पंचम निविदा आमत्रंण सूचना

निम्न कार्यो हेतु आनलाईन निविदाऐं ई-टेंडर प्रकिया के अंतर्गत आमंत्रित किये जाने हेतु विभागीय इंटरनेट साईट पोर्टल https://www.mptenders.gov.in/ खंड सरदारपुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत विकासखंड कुक्षी के ग्राम लुन्हेरा की रेट्रोफिटिंग आधारित नलजल योजना की ड्राईंग डिजाईन अनुसार आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी मय सम्पवेल एवं पंपहाउस आर.सी.सी. सेनेटरी कुआ, सहित निर्माण एवं मुख्य पाईप लाईन, जल वितरण नलिकाऐं पाईप लाईन, घरेलु नल कनेक्शन, 11 केवी इलेक्ट्रिक पावर लाइन एक्सटेंशन कनेक्शन समस्त सामग्री एवं मजदुरी सहित शेष बचे कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित प्रकिया संपादित की गई है :–

सिस्टम टेण्डर क्रं.	कार्य का विवरण	निविदा लागत रू. लाख में	धरोहर राशि रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. में	ठेकेदारों की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2026_PHED_475554_1	कुक्षी	68.92 Lakh	68920	10000	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत प्रणाली अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन	3 माह वर्षाकाल सहित कार्य पूर्ण कर 90 दिनो तक ट्रायल रन करना है।

आनलाईन निविदा फार्म कय करने की अंतिम तिथि : 23.03.2026 18:00 बजे
आनलाईन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि : 23.03.2026 18:00 बजे
ऑनलाईन निविदा दर खोलने की तिथि : 25.03.2026 11:00 बजे

नोट :– निविदा प्रपत्र सिर्फ उपरोक्त इंटरनेट साईट पर ऑन लाईन पर केश कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग अकाउण्ट एवं आय.टी.जेड केश कार्ड के माध्यम से कय किये जा सकते है।

विस्तृत निविदाये एवं अन्य विवरण उपरोक्त लिखित पोर्टल पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री (प्रोक्योरमेंट)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड सरदारपुर जिला– धार (म.प्र.)

G27396/25

कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल- ce.tender.wrdmp@gmail.com
फोन - 0755-2767635 फेक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1209 / 2025 - 26 / प्रमुख अभियंता / ई-टेंडरिंग / भोपाल, दिनांक 16.03.2026

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.04.2026 को 17:30 बजे तक कय / डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2026_WRD_490297	टर्न की पद्धति पर :- कालीकुण्डी तालाब के मिट्टी के बांध का समस्त अव्यवों सहित निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	खरगोन	1318.94
2.	2026_WRD_490299	टर्न की पद्धति पर :- दामखेड़ा तालाब के मिट्टी के बांध का समस्त अव्यवों सहित निर्माण एवं 1.02 कि.मी. टार रोड़ का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	खरगोन	2224.58
3.	2026_WRD_490318	टर्न की पद्धति पर :- दुगानी तालाब (नहर सहित) का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बडवानी	2727.15
4.	2026_WRD_490320	टर्न की पद्धति पर :- मोगरी नदी तालाब नं. 1 (नहर रहित) का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बडवानी	1058.99
5.	2026_WRD_490321	टर्न की पद्धति पर :- सुसरी तालाब (नहर रहित) का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बडवानी	3127.35

G27471/25 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

In The Court of IV Civil Judge, Senior Division, District Court, Mandsaur Presiding Officer : श्रीमती रोहिणी तिवारी

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS B/0000002/2022)

एच.डी.एफ.सी. बैंक तर्फे अधिकृत अधिकारी– आशीष रावत .... वादी
Vs
मे. उत्तम इंटरप्राइजेस द्वारा प्रो.– संदीप राठौर .... प्रतिवादी

Process Id- 8968/2026
पेशी दिनांक :– 23/04/2026

प्रेषिती–
(1) मे. उत्तम इंटरप्राइजेस द्वारा प्रो. संदीप राठौर, पता– निवासी 6 गौशाला मार्केट मंदसौर
(2) संदीप राठौर पिता प्रकाश राठौर पता– पता– निवासी 6 गौशाला मार्केट मंदसौर हाल मुकाम एम.आई.जी. 2 जनता कॉलोनी
(3) श्रीमति सुशीला राठौर पति प्रकाशचंद्र राठौर पता– निवासी 6 गौशाला मार्केट मंदसौर हाल मुकाम वार्ड नं 17 रोड़ नं. 5 स्ळ 456 अभिजित कॉम्पलेक्स मंदसौर
(4) प्रकाश चंद्र राठौर पिता मोहनलाल पता– निवासी 6 गौशाला मार्केट मंदसौर हाल मुकाम एम आई जी 2 जनता कॉलोनी

यह कि प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक तर्फे अधिकृत अधिकारी- आशीष रावत ने आपके विरूद्ध व्यवहार बाद ब के लिए संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके । आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख **19th February 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

श्रीमती रोहिणी तिवारी
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
मन्दसौर

टिप्पणी :- 0

कृपया ध्यान दें :
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

PR AGRO SOLUTION

Survey No. 39/5/2, Village-Bhagsur, Tehsil-Rajpur, Dist. Barwani-451556 (M.P.)

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **PR AGRO SOLUTION.** Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -
(1) N.P.K. (19:19:19) (PR GREEN 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (PR GREEN 13:40:13)
(3) N.P.K. (20:20:20) (PR GREEN 20:20:20)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.
E-mail : golden_cc@rediffmail.com

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग मनावर

क्रमांक / 444 / निविदा/व.ले.लि. / ग्रायांसे / 2026 मनावर, दिनांक 10/03/2026

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक - 03/2025-26

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन पोर्टल https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से निर्माण कार्यो की निविदायें सिस्टम टेण्डर नम्बर 2026_RES_485543 & 2026_RES_485544 अंतर्गत 02 निमार्ण कार्यो की निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 पर आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की प्रारंभ तिथि 17/03/2026 समय 13:00 बजे से तथा ऑनलाईन निविदा दर प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि 18/03/ 2026 समय 10:00 बजे एवं ऑनलाईन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23/03/2026 समय 17:00 बजे तक । वित्तीय ऑफर दिनांक 25/03/2026 को इस कार्यालय में खोले जावेगे । निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने हेतु विस्तृत निविदा व अन्य विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर एवं कार्यालयीन समय में इस कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर

G27437/25

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म. प्र.)

क्रमांक/717/अ.क.री. / का.से./2026 इन्दौर, दिनांक.26/02/2026

:: विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम- देवगुराडिया तहसील - भिचौलीहप्सी जिला - इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है

:अ क्र	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रुप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक श्री रमेशचन्द्र परमार पिता श्री पन्नालाल परमार पता :- 326, ग्राम- दुधिया, इंदौर (म.प्र.) कालोनी का नाम 'NAIVEDHYA HOMES'	ग्राम- देवगुराडिया तहसील - भिचौलीहप्सी जिला इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 228/1 रकबा 1.608 हे. में से मौके पर उपलब्ध 1.187 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक क्रमांक एमपी 7 आईजीआर 17522025ए100686387 इंदौर दिनांक 05.08.2025 से भूखण्ड क्रं. 8 से 30 तक इस प्रकार कुल 23 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 1754.71 वर्गमीटर भूमि है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 23 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित)

रिंकेश कुमार वैश्य
अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा, जिला-इंदौर

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां 'नवभारत' में विज्ञापन के माध्यम से

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, यूनिट नं. 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नं. 9/सी/सीए, स्कीम नं. 94 रिंग रोड, रेडिसन चौराहे के पास, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ट IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी (यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। ऋणी (यों) द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी (यों) को विशेष रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे ऋणी (यों) ने **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास** द्वारा नीचे उल्लेखित सी.सी. नंबर में पारित आदेश के मद्देनजर न्यायालय आयुक्त/तहसीलदार के माध्यम से यहां वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को **भौतिक कब्जा** सौंप दिया है।

ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों / कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दि. / कब्जा दिनांक	आदेश दिनांक / केस नं.
9971304	श्रीमती लक्ष्मी राठौर पति एवं स्व. श्री दिलीप राठौर के कानूनी वारिस (ऋणी), श्री सुरेश राठौर (सह-ऋणी)	Rs. 3,55,887/-	14-05-2025 / 13-03-2026	19-11-2025 / MJCR No 1944/2025

सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : संपत्ति कमांक – 1 : प्लॉट कमांक 68 के पूर्वी भाग का समस्त हिस्सा एवं भाग, स्थित अनुकूल नगर कॉलोनी, वार्ड कमांक 07, देवास, जिसका क्षेत्रफल लगभग 67.50 वर्ग मीटर (726.30 वर्ग फुट) है **चर्तुसीमाएं निम्नानुसार हैं :** पूर्व में : प्लॉट कमांक 67, पश्चिम में : इसी प्लॉट का शेष भाग, उत्तर में : प्लॉट कमांक 81, दक्षिण में : 18 मीटर चौड़ी सड़क **संपत्ति कमांक – 2 :** प्लॉट कमांक 68 के पश्चिमी भाग का समस्त हिस्सा एवं भाग, स्थित अनुकूल नगर कॉलोनी, वार्ड कमांक 07, देवास, जिसका क्षेत्रफल लगभग 67.50 वर्ग मीटर (726.30 वर्ग फुट) है **चर्तुसीमाएं निम्नानुसार हैं :** पूर्व में : इसी प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम में : प्लॉट कमांक 69, उत्तर में : प्लॉट कमांक 81, दक्षिण में : 18 मीटर चौड़ी सड़क

दिनांक : 13.03.2026
स्थान : इंदौर (म.प्र.)

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला - देवास (म.प्र.)

क्रमांकः 830 /भू-अर्जन / 2026 देवास, दिनांक 12/03/2026

- प्रारंभिक अधिसूचना -

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन 2013)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ' आईएसपी पार्वती फेस I&II सूक्ष्म उदयवहन परियोजना' के अन्तर्गत 'पाईप लाईन के वाल्व चेंबर के निर्माण' हेतु ग्राम सोनखेडी तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि 'आईएसपी पार्वती फेस I&II सूक्ष्म उदयवहन परियोजना' के अन्तर्गत ' पाईप लाईन के वाल्व चेंबर के निर्माण' से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचि-1

ग्राम/कस्बा सोनखेडी तहसील कन्नौद जिला देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"आईएसपी पार्वती फेस I&II सूक्ष्म उदयवहन परियोजना" के अन्तर्गत "पाईप लाईन के वाल्व चेंबर के निर्माण हेतु	0-0020	-	0-0020

अनुसूचि- 2

ग्राम/कस्बा सोनखेडी तहसील कन्नौद जिला देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	शिवलाल पिता गोण्डू जाति गोण्ड निवासी सोनखेडी तहसील कन्नौद जिला देवास	3/2	0.2500	–	0.2500	0-0020	–	0-0020

म.प्र. राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(ऋतु राज)
कलेक्टर एंव समूचित सरकार
म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला देवास

G27474/25

जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

सार्वजनिक नोटिस

मेसर्स **जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड**, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1103A एवं 1103B, 11वीं मंज़िल, हेमकुंट चैंबर, 89, नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019 में तथा कॉर्पोरेट कार्यालय कैंडोर टेकस्पेस, टॉवर-4, चतुर्थ तल, सेक्टर-48, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में स्थित है, भारत सरकार के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत लाइनों अथवा विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए, अथवा कार्यों के उचित समन्वय हेतु आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के प्रयोजन से, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों के समान सभी शक्तियाँ प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने का आशय रखती है। उक्त शक्तियों के अंतर्गत कंपनी सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, एरेक्शन एवं अन्य संबंधित कार्य करेगी, जिनके पश्चात् कमीशनिंग, संचालन एवं अनुरक्षण तथा अन्य कार्य निम्नलिखित पारेषण योजना के अंतर्गत किए जाएंगे:–

ट्रांसमिशन योजना का नाम: "मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में प्रस्तावित हाइब्रिड पावर परियोजना हेतु मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली।"

योजना के अंतर्गत शामिल कार्य: "जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का पूलिंग स्टेशन (उत्पादन स्विचयार्ड, ग्राम उदपुरा, तहसील मंदसौर, ज़िला मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित) से मंदसौर पूलिंग स्टेशन तक 220 केवी सिंगल सर्किट (S/C) लाइन, डबल सर्किट (D/C) टावरों पर।"

(मार्ग की लंबाई लगभग 12 कि.मी. है, जिसमें से लगभग 9-10 कि.मी. लाइन डी/सी टावरों पर एस/सी के रूप में तथा शेष 2–3 कि.मी. लाइन मंदसौर पीएस के प्रवेश की ओर एम/सी टावरों पर एस/सी के रूप में स्थापित की जाएगी।)

इस योजना के अंतर्गत शामिल ट्रांसमिशन लाइन मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से गुज़रेगी।

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	ज़िला
1	आक्या पालरा, अकीय्या, आक्याबीका / अकीयाबिक्का, अरण्यामिना / अरनिया मीणा/ अरनिया मीना, आरडी / अर्री, बादपुर, बांसखेड़ी / बांसखेरी , बांसखेड़ी (बरुंजनावाली), भांगिपिपलिया / भांगी पिपल्या, बिल्लोद/ बिलौद / बिलाउद, बोरखेड़ी (कचनारावाली), बोरखेड़ी कमल्या, बोरखेड़ी / बोरखेरी, कमल्या / कामलिया, बूधा / बूढ़ा, चोथखेडी / चौथखेरी, चिल्लोड़पिपलिया / चिल्लोद पिपल्या / चिल्लोपिपलिया, चिताखेड़ी / चिताखेरी, देवोरी / देवरी / देवारी, ढाबला , डोडियामिना / डोडीया मीणा, दोरवाडा / डोरवारा, डोरवारी / दरवारी, गर्रावद / गरावड़, हनुमंतिया / हनमंतिया, पिपल्या जोधा / जोधा पिपलिया, काचरिया कद/ कछारिया कदमाला, कछरिया कदमाला, कछारिया अवाना, कछारिया (कदमाला), कछारिया, काचरिया चन्द्रावत, कछारिया (चंद्रावत), काल्याखेड़ीकला, कल्याखेड़ीकलां / कल्याखेरी कलां / कल्याखेड़ी कलां, कल्याखेड़ी, खंखरियाखेड़ी, खड़पालिया / खरपालिया, खेड़ा काल्याखेडी, खेड़ा / खेड़ी, खुटी, कोयला, कोयली, लसुडिया राठोड/ लसूरिया राठौर / लसूडिया (राठौरी), लिम्बावास, मगराना / मगरा, मिण्डलाखेड/मिंडलाखेड़ा / मिंडलाखेरा, मुंजाखेड़ी / मुंजाखेरी, मुंदड़ी/मुंडाड़ी / मुंडारी, नागदपिपलिया / नागडपिपल्या, नापाखेड़ा / नापाखेरा, पलेवना / पालेवाना / पालेवाना, पीरगुराड़िया / पीरगुरारिया, रनयारा / रनयरा/ रणायरा, पिपल्या रतन, रतन पिपलिया, पिपलिया (रतन), रिंछा / रीछा, सिंदवान/सिंदवन, सोहांगरा/ सोनगरा, सुंथरबोलिया, सुथार बोलिया, तखतपुर/तखतपुरा, तकरावड़/ टकरावद, तालाबपिपलिया / तलाव पिपलिया/ तालाब पिपल्या, तुर्किया / तुर्किया/ तुरक्या, खेड़ा कोयला / खेड़ा	मल्हारगढ़	मंदसौर
2	अक्या फट्टू / अकिया पुलु, अम्याभट्टी / अर्न्याभट्टी/ अरन्याभट्टी, बोराखेड़ी / बोहरा खेड़ी, चिकल्या/चिकलिया, ईटायली, जग्गाखेड़ी / जगाखेड़ी, जग्गाखेड़ी (नाहरगढ़)	मंदसौर नगर	मंदसौर
3	बीड़ निर्धारी/बीड निरधारी, बेखेड़ा / बेखेरा, भूकी, दमदम, धिकोला/ढिकोला, डिगांव खुर्द / डिगाऊं खुर्द, गरियाखेड़ा / गरियाखेरा, हांसली / हांसाली/हाँसली, जग्गाखेड़ी, जगाखेड़ी (नाहरगढ़) / जग्गाखेड़ी (नाहरगढ़), खंडेरिया मारू/ खंडरिया मारू, कोलवा, कुम्हारिया, लब्दाड़ी/ लब्दड़ी/लब्दारी, लीलदान/लील्दा/ लीलदा, लोध, पुरानी लोध, मलयाखेरखेड़ा/ मलिया (खारेखेड़ा)/मलयाखेरीखेड़ा/ माल्याखेरखेड़ा , मलिया खेड़ी/ माल्याखेड़ी, नवानखेड़ी / नवानखेड़ी/ नावनखेड़ी, निर्धारी/ निरधारी, पदलियामारू/पाल्या मारू/ पाडलिया मारू, पिपलखुंटा, पिपलिया कराड़िया / पिपल्या कराड़िया / पिपलिया करारिया/ पिपलिया कर, पिथाखेड़ी नाहरगढ़/ पीथाखेडी (नाहरगढ) , पित्याखेड़ी/, सेमली, सूरी, उदपुरा, परपुर / पानपुर	मंदसौर	मंदसौर
4	आबाखेड़ी / अबाखेरी, बड़ोद / बरोद, बेटीखेड़ी, बरीखेड़ा, भूकी बुजुर्ग / भूखी बुजुर्ग, चांदवासा, झालरा/ झलारा, झटारा, कचनारा, कचनारी, खजूरीमांडा / खजूरी माण्डा / खजरुमांडा, खजूरी चंद्रावत, खजूरी / खेड़ी, खजूरी खेड़ी, खानुखेड़ा / खानुखेरा/ खानूखेड़ा, कोटड़ीमांडा/ कोटडीमाण्डा / कोटरी मांडा, कुंताखेड़ी / कुंताखेरी, नाहरगढ़, पानपुर, शक्करखेड़ी / शक्करखेरी, सुंठी/ सूठी, सुंठखेड़ा / सुंठखेड़ा/ सूठखेड़ा, कोयली	सीतामऊ	मंदसौर

मार्ग संरेखण की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध है। आम जनता को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तावित ट्रांसमिशन सिस्टम पर टिप्पणी/प्रतिनिधित्व करने के लिए सूचित किया जाता है।

अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:
नाम: पवन कुमार गुप्ता । **पदनाम:** अधिकृत प्रतिनिधि
कार्यालय का पता: कैंडोर टेकस्पेस, टॉवर-4, चतुर्थ तल, सेक्टर-48, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
ईमेल पता: bd@junipergreenenergy.com । **संपर्क फ़ोन नंबर:** +91 124 4739600/601